

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करप्शन, सी0बी0आई0, पश्चिम,
लखनऊ।**

सेशन ट्रायल नं0— 1065 / 2019
आर.सी.-4(एस) / 2019 / सीबीआई / एससीबी / लखनऊ
धारा-147,149,329,364ए,386,394,411,420,467,468,
471,506,120बी. भा0द0सं0
एफ0आई0आर0 नं0— 810 / 2018

दिनांक 13.03.2023

अभियुक्त जकी अहमद द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र बी-39 उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र बी-39 अभियुक्त जकी अहमद की ओर से उन्मोचन हेतु संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 28.12.2018 को समय लगभग 11.00 बजे रात में लिखित शिकायत थाना कृष्णानगर लखनऊ में दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2018 को देवरिया जेल में कुछ लोगों ने उसे मारा पीटा जो लोग अतीक अहमद को जानते थे, जिनके साथ उसका वित्तीय विवाद था। जिस पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-810/18 धारा धारा-147, 149,386, 329,420,467,468,471,394,506,सपठित धारा 120बी. भा0द0सं0 में दर्ज किया गया, तदुपरांत विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन आफ इंडिया में पारित आदेश के क्रम में विवेचना सी0बी0आई0 को स्थानान्तरित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल को दिनांक 26.12.2019 को अतीक अहमद(पूर्व एम.पी.) के सहयोगियों द्वारा उसे उसके घर से जबरन अपहरण करते हुए देवरिया जेल ले जाया और बलपूर्वक शिकायतकर्ता की 4 फर्में को अपने सहयोगी फारूख व आवेदक/अभियुक्त जकी अहमद के नाम स्थानान्तरित करवा लिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसे मारते पीटते हुए उसकी कार भी छीन ली गई। यह भी कथन किया गया कि शिकायतकर्ता की नियत पैसों को लेकर शुरू से ही खराब थी और उनके द्वारा पैसों का दुरुपयोग किया गया और जब शिकायतकर्ता के कार्यों का विरोध किया गया तो दुर्भावना से अतीक अहमद व उनके परिवार को गलत तरीके से उनके वित्तीय अधिकारों को समाप्त करने तथा शिकायतकर्ता के समक्ष झुकने के उद्देश्य से झूठे प्रकरण में फंसा दिया गया। शिकायतकर्ता अतीक अहमद व उसके परिजन को पिछले 4-5 साल से जानता था। उसके पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होता था और कई अवसरों पर चैट के माध्यम से सन्देश आदान प्रदान करता था। शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अतीक अहमद के परिजनों को व्यवसाय में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा अतीक अहमद की पत्नी को शिकायतकर्ता की कम्पनी में निदेशक के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 2016 में अतीक अहमद के परिजन द्वारा शिकायतकर्ता की कम्पनी में निवेश किया गया जिसे शिकायतकर्ता द्वारा एन.सी.एल.टी. इलाहाबाद बेंच में धारा 241/242 कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका में स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर-विरोध होने के कारण आवेदक के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक अभियुक्त जकी अहमद व सह अभियुक्त मो0 फारूख को शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं ही कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था और इस सम्बन्ध में उसकी आडिटर राखी कपूर के द्वारा सम्बन्धित फार्म आरओसी पर अपलोड किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा कम्पनी ला ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई याचिका में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अतीक अहमद की पत्नी कम्पनी में 25 प्रतिशत की शेयर होल्डर है। यह भी कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य को वर्णित किया गया है कि शिकायतकर्ता को एक सहयोगी दिनांक 26.12.18 को जबरदस्ती देवरिया जेल ले गये थे जबकि सत्यता यह है कि शिकायतकर्ता को

उसके सहयोगी, जिन्हें वह पहले से जानता-पहचानता था, सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी व इरफान अपने साथ शिकायतकर्ता को देवरिया जेल ले गये थे। यह भी कथन किया गया कि प्रकरण के सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी द्वारा स्थानीय पुलिस के समक्ष यह कथन किया गया था कि वह शिकायतकर्ता का सहयोगी था और उसकी कम्पनी में ही काम करता था तथा कम्पनी के लिए जमीन क्रय करने में मदद करता था। वह शिकायतकर्ता के सभी जमीन क्रय विक्रय के मामले में साक्षी बनता था, जो कि स्वयं शिकायतकर्ता के कथन से ही स्पष्ट है। आवेदक अभियुक्त पर लगाया गया यह आरोप कि अतीक अहमद व उसके सहयोगियों द्वारा शिकायतकर्ता का अपहरण किया गया था, में कोई बल नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता स्वयं ही दिनांक 26.12.2018 को उसके खुद के आदमियों के साथ जेल में पूर्व अवसरों की तरह अतीक अहमद से मिलने गया था। कम्पनी अधिकरण में शिकायतकर्ता द्वारा शपथपत्र पर यह स्वीकार किया गया था कि वह स्वयं देवरिया जेल जाने के लिए सहमत हुआ था। शिकायतकर्ता गुलाम सरवर से भी भली भांति पूर्व से परिचित था। आवेदक अभियुक्त का शिकायतकर्ता की कम्पनी व अतीक अहमद के मध्य व्यवसायिक अन्तर-विरोध से कोई लेनादेना नहीं था। शिकायतकर्ता का चिकित्सीय परीक्षण तथा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उसके विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप बोगस व निराधार है। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये बिना ही अविधिक तरीके से आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उस पर कोई भी अपराध नहीं बनता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया गया कि सम्बन्धित मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद द्वारा मोहित जायसवाल को डरा धमका कर पैसे की मांग की गई और जब मोहित जायसवाल द्वारा मना कर दिया गया तब अभियुक्त अतीक अहमद के सहयोगी उसे उसकी गाड़ी सहित उठा कर देवरिया जेल ले गये और जहाँ अभियुक्त अतीक अहमद एवं उसके सहयोगियों द्वारा उसे डरा धमका कर मारा पीटा गया तथा मोहित जायसवाल को धमकाते व डराते हुए उसकी फर्مو को अपने सगे रिश्तेदार आवेदक/अभियुक्त जकी अहमद एवं सहयोगी मो० फारूख के नाम बलपूर्वक स्थानान्तरित करवा लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सी०बी०आई० को स्थानान्तरित हुई थी। शिकायतकर्ता मोहित जायसवाल ने अपने बयान धारा 161 द०प्र०सं० में स्वीकार किया है कि सह अभियुक्त गुलाम मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने उसका अपहरण उसकी ही गाड़ी नं० यू०पी०32 जे आर 1804 फारच्यूनर से देवरिया जेल ले गये है, जहाँ उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया तथा बलपूर्वक डरा धमका कर कई दस्तावेजों पर उसके व उसकी बहन के हस्ताक्षर बनवा लिया।

सी०बी०आई० के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से यह भी कथन किया गया कि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन द्वारा शिकायतकर्ता की एक ही कम्पनी एम०जे० इन्फ्रा स्टेट प्रा० लि०, जो कि शिकायतकर्ता की मुख्य कम्पनी एम०जे० इन्फ्रा हाउसिंग प्रा० लि० की सहायक कम्पनी थी, में ही निवेश किया गया था और केवल उसी कम्पनी में ही उसको निदेशक बनाया गया था। जबकि मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद के साले आवेदक अभियुक्त जकी अहमद एवं सह अभियुक्त मो० फारूख को शिकायतकर्ता तथा उसकी बहन आरती जायसवाल की चारों कम्पनियों का, शिकायतकर्ता से जबरदस्ती त्याग पत्र से सम्बन्धित दस्तावेजों तथा सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा कर, पूर्ण स्वामित्व दे दिया गया। घटना के दिन आवेदक/अभियुक्त सह अभियुक्त सी०ए० नितेश मिश्रा के लखनऊ स्थित कार्यालय में मौजूद था। घटना के बाद वादी मुकदमा को मारपीट करने के बाद उसकी चार कम्पनियों से त्यागपत्र तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों को सहयोगी पवन कुमार सिंह द्वारा सह अभियुक्त नितेश मिश्रा के कर्मचारी सह अभियुक्त महेन्द्र सिंह को वॉट्सएप के माध्यम से उसके मोबाइल पर भेजा गया और

उसके उपरांत आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्त नितेश मिश्रा ने अपने डीजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके उपरोक्त दस्तावेजों को आरओसी के साइट पर उपलोड कर दिया। इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक अभियुक्त ने सह अभियुक्त मो० फारूख के साथ वादी मुकदमा के चारों कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया। सी०बी०आई० का कथन है कि विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर विवेचनोंपरांत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सी०बी०आई० द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-147, 149, 329, 364ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506, 120बी. भा०द०सं० आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए आरोप विरचित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त अतीक अहमद के कहने पर शिकायतकर्ता द्वारा उसे कम्पनी का निदेशक बना दिया गया था। इसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध अन्य कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

इसके विपरीत सी०बी०आई० के वरिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहा है। मुख्य अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा शिकायतकर्ता को मारपीट कर तथा डराते धमकाते हुए शिकायतकर्ता व उसकी बहन आरती जायसवाल के नाम की 4 कम्पनियों को आवेदक व अन्य सह अभियुक्त फारूख के नाम स्थानान्तरित करवा कर पूर्ण स्वामित्व दिलवा दिया गया। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य है जिसमें वादी मुकदमा मोहित जायसवाल का बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द०प्र०सं०, शिकायतकर्ता व उसकी बहन की चारों कम्पनियों के स्वामित्व सम्बन्धी आरओसी कानपुर के दस्तावेज व अन्य साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। विवेचनोंपरांत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए मामले में प्रसंज्ञान लिया गया। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का आधार पर्याप्त है और अभियुक्त का उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

आरोप विरचित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में उपरोक्त परिस्थितियों में आरोप विरचन को वैधानिक बताया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा 1996 एस०सी०सी० (4) 659 उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि-व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि आरोप स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या केस का बनना देखा जाना है, न कि यह देखा जाना है कि क्या संदेह से परे अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं।

आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था अजय अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया, 1993 ए.आई.आर. 1637 पर विश्वास व्यक्त करते हुए बल दिया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक षडयंत्र के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि "It is not necessary that conspirator must know all the details of the scheme nor be a participant as every state. "A conspiracy is a continuing offence and continues to subsist and committed wherever one of the conspirators does an act or series of facts."

विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2008 (60) एसीसी 59 H.C.D.B. में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि आरोपित पर गम्भीर संदेह है तो भी आरोप विरचित किया जायेगा।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोप विरचन किये जाने के स्तर पर न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करना है अपितु मात्र यह देखना है कि आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है अथवा नहीं और यदि आरोपित अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर सन्देह भी हो तो ऐसी स्थिति में भी उसके विरुद्ध आरोप विरचन किये जाने के आधार पर्याप्त होते हैं। इस प्रकरण में अभियुक्त षडयंत्र के अपराध में भी आरोपित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा षडयंत्र के अपराध के संदर्भ में स्पष्ट अभिमत देते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि षडयंत्र में सम्मिलित व्यक्ति का सभी तथ्यों का जानना आवश्यक नहीं है और न ही प्रत्येक स्तर पर अपराध के सभी चरणों में सम्मिलित होना ही आवश्यक है।

इस प्रकरण में आवेदक अभियुक्त पर मुख्य रूप से आरोप यह है कि मामले के शिकायतकर्ता एवं उसकी बहन आरती जायसवाल के नाम की कम्पनियों का स्वामित्व अभियुक्त के पक्ष में अतीक अहमद द्वारा कराया गया। ऐसे में अभियुक्त का सम्बन्धित प्रकरण में अपहरण कर डरा धमका कर शिकायतकर्ता व उसकी बहन से कम्पनी का स्वामित्व अथवा हित प्राप्त किया जाना कथित है जिसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत सी0बी0आई0 द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभियुक्त द्वारा कम्पनी अपने नाम किये जाने के तथ्य को खंडित भी नहीं किया गया है।

ऐसे में उपरोक्त तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

ऐसे में उपरोक्त तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता परिलक्षित होती है, जो कि इस स्तर पर उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करती है।

उपरोक्त समग्र विवेचना तथा वर्णित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जकी अहमद द्वारा आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बी- 39 निरस्त किया जाता है।

दिनांक-13.03.2023

(अजय विक्रम सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एन्टी-करप्शन,
सी0बी0आई0, पश्चिमी, लखनऊ।